HRA Sazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

PUBLISHED BY A

सं∘128] No. 128 J नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 1997/चैत्र 5, 1919 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 1997/CHAITRA 5, 1919

पैदोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1997

सा० का० नि० 174 (अ).— केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन नियम, 1997 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में---
 - (i) उपनियम (2) में ''प्रतिकार के लिए दावा, ऐसे प्ररूप मैं किया जाएगा जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमिश्त विनिर्दिष्ट किया गया हो'' शब्दों
 के स्थान पर ''प्रतिकार के लिए दावा, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) नियम 3 में, ''ऐसी जांच करेगा औसी वह उचित समझे'' शब्दों के स्थान पर ''नियम 4 क में यथा उपबंधित जांच करेगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- 3. उक्त नियम के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - ''4 क सक्षम प्राधिकारी, नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन जांच करने और प्रतिकार मंजूर करने के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा,अर्थात्—
 - (i) भूमि में हितबद्ध किसी व्यक्ति के उपभोग के अधिकार से वैचित हो जाने के कारण मिलने वाले भूमि के प्रतिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस परिक्षेत्र में विद्यमान भूमि की दरों की बाबत निम्नलिखित स्रोतों से पूछताछ करेगा, अर्थात्—
 - (क) ऐसे स्थानीय रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रिजस्ट्रार, उपरिजस्ट्रार या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दस्तावेजों को रिजस्टर करने के लिए तत्समय प्राधिकृत किया गया हो;

- (ख) यदि ऐसी अवधि के दौरान उस परिक्षेत्र में कोई भूमि अर्जित की गई है तो, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन भूमि अर्जन प्राधिकारी और ;
- (ग) ऐसा कोई अधिकारी या प्राधिकारी जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्रयोजन के लिए भूमि की आरक्षित कीमत नियत करता है :

परन्तु विचार की जाने वाली कोई दर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियत आरक्षित कीमत से कम नहीं होगी।

- (2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किए जाने के दौरान हुई हानियों या नुकसान के लिए प्रतिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी—
 - (क) उसके द्वारा नियुक्त की गई टीम द्वार तैयार किया गया एक पंचनामा अभिप्राप्त करेगा जो अधिमानतः भूमि में हितबद्ध द्वारा या उस परिक्षेत्र के दो स्वतंत्र और सम्मानीय निवासियों और कार्यनिष्पादन अभिरण के प्रतिनिधि द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित होगा। उक्त पंचनामे में अधिनियम की धारा 4, 7, या 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान हुई हानियों और नुकसान के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।
 - (ख) फसलों, वृक्षों और फलों आदि से प्राप्ति की बाबत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उद्यान-कृषि या कृषि विभाग से अथवा केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार अथवा किसी स्थानीय सरकारी निकाय से पूछताछ करेगा; और
 - (ग) फसलों, इमारती काष्ठ, काष्ठ, फल आदि के बाजार मूल्य की कृषि विभाग से या किसी अन्य संबंधित सरकारी अभिकरण या अर्द्ध सरकारी अभिकरण जैसे कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी या किसी विधि के अधीन फसलों काष्ठ, फल आदि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से अध्यापेक्षा करेगा;
 - (घ) अन्य हानियों, यदि कोई हो, का निर्धारण, सरकारी अभिकरण से या किसी अर्हित इंजीनियर से या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34 क ख के अधीन रिजष्ट्रीकृत किसी मूल्यांकक के माध्यम से करवाएगा;
 - (ङ) उपधारणात्मक फसल प्रतिकार अर्थात् ऐसे लाभ के लिए प्रतिकार तो कृषक उस फसल के लिए सामान्यतः प्राप्त करता जो यदि उसे भूमि जोतने से निवारित न किया गया होता तो उसने उस भूमि जिससे प्रतिकार संबंधित है पर उस मौसम या अवधि के दौरान कृषि की होती, के मामले में सक्षम प्राधिकारी बीज, खाद, श्रम आदि की बचत के रूप में शुद्ध मूल्य के 20 प्रतिशत की कटौती कर सकेगा।

[सं॰ ओ-27012/1/93-ओ. एन. जी. ही. IV]

संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 13-04-1963 के सा. का. नि. 626 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें बाद में निम्नवत् संशोधित किया गया था :---

- (i) सं॰ सा. का. नि. 194 (ई) दिनांक 26-04-1977
- (ii) सं॰ सा. का. नि. 100 (ई) दिनांक 01-03-1995

अनुसूची

प्ररूप

[नियम 4 (2) देखिए]

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

भाग-क

दावेदार की विशिष्टियां

- 1. दावेदार का नाम
- 2. पिता/पति का नाम (+)

- 3. आयु/जन्म की तारीख (+)
- 4. उपजीविका
- स्थायी पता
- 6. संसूचित किए जाने के लिए/नोटिसों की तामील के लिए पता
- 7. दावा प्रस्तुत किए जाने की तारीख

भाग-ख

जिस भूमि पर पाइपलाइन बिछाए (+) जाने का प्रस्ताव है उसकी विशिष्टियां

- भूमि की अवस्थिति
- 9. जिला/ताल्लुक/मंडल
- 10. भूमि की सर्वेक्षण सं०
- 11. भूमि का वर्णन/विस्तार

(नमीयुक्त या शुष्क भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा)

- 12. भूमि/संपत्ति/फसल/पेड़ों आदि को कारित नुकसान की प्रकृति/विस्तार/वर्णन (+)
 - (i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)
 - (ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)
 - (iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शिक्त)
- 13. दावा की गई प्रतिकर की रकम (+)
 - (i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)
 - (ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)
 - (iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति)
- 14. दावे का आधार (+)
 - (i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)
 - (ii) धारा ७ के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)
 - (iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शिक्त)

टिप्पण : — पेड़ों के मामले में, पेड़ों का प्रकार, पेड़ों की संख्या, पेड़ की आयु, प्रत्येक पेड़ से वार्षिक प्राप्ति, प्रत्येक प्रकार के पेड़ के लिए उसकी प्रत्याशित आयु दी जाएगी। प्रत्येक प्रकार की फसल के लिए भी ऐसी ही जानकारी अर्थात् फसल की प्रकृति, परिपक्वता की स्थिति, प्रत्याशित प्राप्ति नुकसान की मात्रा आदि दी जाएगी।

दावेदार के हस्ताक्षर

तारीख-----

टिप्पण: 1 (+) जो लागू न हो उसे काट दें।

2 सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्ररूप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् प्ररूप की एक प्रति दावेदार को लौटाई जाएगी।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1997

- G. S. R. 174 (E):— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Rules, 1997.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963 (hereinafter referred as the said rules), in rule 4—
 - (i) in sub-rule (2), for the words "in such form as the competent authority may specify in this behalf" the words "in the Form specified in the Schedule annexed to these rules" shall be substituted.
 - (ii) in sub-rule (3), for the words "as it deems fit" the words "as provided in rule 4A" shall be substituted.
 - 3. After rule 4 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:
 - "4A While conducting enquiry and for granting compensation under sub-rule (3) of rule 4 the competent authority shall follow the following procedure, namely:—
 - (1) for compensation of land due to the deprivation in right of enjoyment to any person interested in the land the competent authority may enquire the rate of land prevailing in that locality on the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 3 of the Act, from the following sources, namely:—
 - (a) local registration authority such as the Registrar, Sub-Registrar or any Officer or authority for the time being authorised to register the documents under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908);
 - (b) land acquisition authority, under the land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) if any land has been acquired during such period in the locality; and
 - (c) Officer or authority of the Government who fixes the reserve price of the land for any purpose under any law for the time being in force.

Provided that any rate taken for consideration shall not be less than the reserve price fixed by such officer or authority.

- (2) For compensation for other damages or loss while exercising the powers conferred under the Act or rules made thereunder the competent authority shall,—
 - (a) obtain the Panchanama prepared by a team appointed by him duly signed preferably by the person interested in the land or by two independent and respectable inhabitants of the locality and the representative of work executing agency. The said Panchanama shall contain the details of damages or losses caused while exercising the powers conferred by section 4, 7 or 8 of the Act;
 - (b) enquire the yield of crops, trees, and fruits, etc., from the Government agency such as horticulture or agriculture department of the Central Government or State Government or as per the statistics of the Central Government and/ or State Government or from any local Government body;
 - (c) make requisition of the market value of the crops, timber, wood, fruit, etc. from the agriculture department or any other concerned Government agency or Semi Government agency such as the Agricultural Marketing Board, Krishi Upaj Mandi, or any other agency authorised under any Law to assess the market value of crops, wood, fruits etc.;
 - (d) get the other losses, if any, assessed from the Government agency or from any qualified engineer or through any valuer registered under Section 34AB of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957); and
 - (e) in case of Presumptive Crop Compensation i.e., compensation for the profits which the cultivator would have received for crop normally cultivated on the land during the season or period, to which the compensa-

tion relates, but for being prevented from cultivating the land, the competent authority may deduct twenty percent of net value as saving in seeds, fertilisers, labour etc.

[No. O-27012/1/93-ONG. D. IV]

SANJIV MISRA, Jt. Secy.

Foot Note:— The principal rules were published vide No. G.S.R. 626 dated 13-04-1963 and subsequently amended vide:—

- (i) No. GSR 194 (E) dated 26-04-1977
- (ii) No. GSR 100 (E) dated 01-03-1995.

SCHEDULE

FORM

[See Rule 4 (2)]

(To be submitted in duplicate)

Claim regarding land specified in the Gazette notification dated the...... under section 3 (1) of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962).

PART---A

Particulars of the Claimant

- 1. Name of Claimant
- 2. Father's/Husband's Name (*)
- 3. Age/ Date of Birth (*)
- 4. Occupation
- 5. Permanent Address
- 6. Address for Communication/

Service of Notice etc.

7. Date of Submission of Claim

PART---B

Particulars of Land through which the Pipelines are proposed to be laid/laid (*)

- 8. Location of the Land
- 9. District / Taluk/ Mandal
- 10. Survey No. of the Land
- 11. Description/ Extent of the Land

(Wet or dry shall also be specified)

- 12. Nature/ Extent/ Description of the damages caused to the Land/ Property/ Crop/ Trees etc: (*)
 - (i) Under Section 4 (viz. Power to enter, survey, etc.)
 - (ii) Under Section 7 (viz. for laying of pipelines, etc.)
 - (iii) Under Section 8 (viz. Power to enter land for inspection, etc.)
- 13. Amount of Compensation claimed (*)
 - (i) Under Section 4 (viz. Power to enter, survey, etc.)
 - (ii) Under Section 7 (viz. for laying of pipelines, etc.)

- (iii) Under Section 8 (viz. Power to enter land for inspection, etc.)
- 14. Basis of Claim (*)
 - (i) Under Section 4 (viz. Power to enter, survey, etc.)
 - (ii) Under Section 7 (viz. for laying of pipelines, etc.)
 - (iii) Under Section 8 (viz. Power to enter land for inspection, etc.)

Note: In respect of trees, information on type of tree, number of trees, age of the tree, yearly yield of each tree, expected life of the tree for each type of tree shall be given. Similar information for each type of crop viz. Nature of crop, state of maturity, expected yield, amount of damages etc., shall be given.

Signature of Claiman	1
Date	

Note: 1. (*) Delote whichever is not applicable.

2. One copy of form to be returned to the claimant after affixing signature by the competent authority or any person authorised by him to receive the form.